अनुसूची १४–फारम सं०–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०...से...तक

जिला.., सं०..., सन् १६...........................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 115/2013** कुमारी अंजू –– अपीलार्थी वनाम राज्य एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 115/2013 अपीलार्थी द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 19/2010 में पारित आदेश दिनांकः 02.01.2013 ई० ज्ञापांक 222–2 दिनांक 20.02.2013 से प्रक्षेपित होकर दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना। विवाद का मूल सारांश यह है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय, सिमरीबख्तियारपुर के अंतर्गत रायपुरा ग्राम पंचायत के भोरहा वार्ड नं०– 8 केन्द्र संख्या–196 के आंगनबाडी सेविका पद में चयन में की गई अनियमितताऐं एवं मार्गनिर्देशिका के विपरीत की गई रेसपाण्डेन्ट संख्या –4 मधुलता कुमारी के गलत चयन से संबंधित है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 13100/07 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2009 के आलोक में अपीलार्थी कुमारी अंजू की याचना निम्न न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात उनके दावे को अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपील के दावे के समर्थन में बहस करते हुए निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को गलत बतलाते हुए बहस के कम में आगे कथन करते हैं कि रेसपाण्डेन्ट नं0 –04 को चयनमुक्त कर दिया गया है एवं क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपील है। दूसरी ओर रेसपाण्डेन्ट नं0–04 के विद्वान अधिवक्ता बहस के कम में अपीलार्थी के अपील का vehementally oppose करते हैं। सरकारी विद्वान अधिवक्ता बहस के कम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए अपीलार्थी के दावा को सही नहीं बतलाते हैं। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि अपीलार्थी कुमारी अंजू का दावा	

समीचीन प्रतीत इसलिए नहीं होता है कि उसे मैपिंग पंजी का निर्माण जो आई0 सी0 डी0 एस0 के मार्गदर्शिका 2783/03–10–2006 पर पंचायत कार्यकारिणी समिति, रायपुरा मुखिया, महिला पर्यवेक्षिका, भूतपूर्व प्रमुख, मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य की उपस्थिति में हुआ एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 1704–1 दिनांक 11.10.12 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त है, जिसपर अपीलार्थी संख्या –1 कुमारी अंजू एवं कोई भी ग्रामीणों द्वारा आपत्ति मौखिक एवं लिखित नहीं दिया गया, जिससे मैपिंग पंजी के निर्धारण एवं परिसीमन से संबंधित कोई विवाद नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी संख्या –1 कुमारी अंजू का नाम पोषक क्षेत्र के अन्दर होने की प्रमाणितकता तथ्यों से परे प्रतीत होती है लिहाजा इसके अपीलार्थी संख्या–1 कुमारी अंजू का आंगनबाड़ी सेविका पद पर नियुक्ति से संबंधित दावा सही प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपीलार्थी का दावा अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा